रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-25042020-219165 CG-DL-E-25042020-219165

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 205] No. 205] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 25, 2020/वैशाख 5, 1942 NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 25, 2020/VAISAKHA 5, 1942

### कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2020

सा.का.िन. 264(अ).—जबिक कीटनाशी नियम, 1971 में आगे और संशोधन किए जाने हेतु भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सा.का.िन. 10(अ), दिनांक 1 जनवरी, 2019 के द्वारा कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा यथावांछित प्रारूप प्रकाशित किए गए थे और उसके द्वारा प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों से राजपत्र जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, प्रतियां आमजनों को प्राप्त हो जाने की तारीख से तीस दिनों की अविध के समाप्त होने से पहले आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे:-

और जबिक उक्त अधिसूचना की प्रतियां आमजनों को 4 जनवरी, 2019 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और जबिक उक्त प्रारूप नियम पर आमजनों से प्राप्त आपित्तयों या सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है और एक अंतिम गजट अधिसूचना सा.का.िन. 782 (अ), दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 भारत के राजपत्र में 14 अक्टूबर, 2019 को प्रकाशित की गई थी। तद्नुसार, मामले की विभाग में उक्त नियमों के कार्यान्वयन में पणधारकों की व्यावहारिक समस्याओं और देश में मौजूदा आकस्मिक कोविड-19 की स्थितियों को देखते हुए आगे जांच की गई है।

अत: अब, कीटनाशी नियम, 1971 में आगे और संशोधन करने का प्रस्ताव करते हुए केंद्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित प्रारूप नियमों को इनके द्वारा प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ उक्त धारा यथावांछित प्रकाशित करती है और एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि भारत के राजपत्र जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, की प्रतियां आमजनों को उपलब्ध होने की तारीख से पंद्रह दिन समाप्त होने के बाद उक्त प्रारूप नियमों पर विचार किया जाएगा;

1873 GI/20 (1)

पंद्रह दिनों की उक्त अवधि समाप्त होने से पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियां या सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में आपत्तियां और सुझाव संयुक्त सचिव (पौध संरक्षण) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली- 110001 को या एनआईसी मेल jspp-dac@gov.in को भेजे जाएं।

### प्रारूप नियम

- 1. (1) इन नियमों को कीटनाशी (द्वितीय संशोधन) नियम, 2020 कहा जाएगा।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

परंतु यह कि इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से पहले प्रदान किए गए विधिमान्य पंजीकरण प्रमाणपत्रों वाले सभी व्यक्ति, नबे दिनों की अविध के भीतर, लेबल और पर्ची जो इन नियमों के अनुसार संशोधित किये गये हैं, के अनुमोदन के लिए सचिवालय केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति के समक्ष आवेदन करेंगे:

परंतु यह और कि कोई भी व्यक्ति इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से नो माह की समाप्ति के पश्चात् किसी ऐसे लेबल या पर्ची का उपयोग नहीं करेगा जो इन नियमों के अनुसार संशोधित नहीं किये गये हैं:

परंतु यह भी कि ऐसे लेबल या पर्ची लगे किसी कीटाणुनाशक या इसका पैकेज जो इन नियमों के अनुसार संशोधित नहीं किए गए हैं इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से एक वर्ष नो माह की समाप्ति के पश्चात बिक्री अथवा भंडारण हेतु वितरित, बेचे, प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।

2. कीटनाशी नियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 19, के उपनियम (1) में, (क) खण्ड (आई)

- i. "लागू करना" शब्दों के बाद उप-खण्ड (घ) मैं ब्रैकेट और शब्द, "(कृपया विवरण के लिए लीफलेट का संदर्भ लें)"
   रखें जाएंगे;
- ii. शब्दों और ब्रैकेट ''उक्त क्षेत्र'' के बाद उपखण्ड (ड.) मैं ब्रैकेट और शब्द, "(कृपया विवरण के लिए लीफलेट का संदर्भ लें)'' रखें जाएंगे ;
- iii. उपखण्ड (एच) में ''पंजीकरण समिति'' शब्दों के पश्चात, ब्रैकेट और शब्द, "(कृपया विवरण के लिए लीफलेट का संदर्भ लें)'' रखें जाएंगे :
- iv. उपखण्ड (जे) में ''प्राथमिक चिकित्सा'' शब्दों के बाद, ब्रैकेट और शब्द, "(कृपया विवरण के लिए लीफलेट का संदर्भ लें)'' अंत: स्थापित किए जाएंगे ;
- (ख) खण्ड (ii) के लिए स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-
- ''(ii) यदि अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो तो लीफलेट अंग्रेजी और हिन्दी भाषाओं में स्याही से पठनीय रूप में मुद्रित की जाएगी

निम्नलिखित निर्धारित आकार के. से कम आकार की नहीं होगी।

क्र.सं.	पैकेज का	प्राथमिक		माध्यमिक	
	आकार	अंग्रेजी	हिन्दी	अंग्रेजी	हिन्दी
(1)	बड़े	7	7	7	7
(2)	छोटा	5	6	7	7
(3)	अति लघु	5	6	7	7";

- (ग) खंड (iv) और (v) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड अंत: स्थापित किए जाएंगे अर्थात :-
- "(IV) ऐसे मामले जहां सेशे, पैकेट अथवा कंटेनर अति लघु और लघु हैं (1 और 50 ग्राम अथवा मिली. ओर 51 तथा 250 ग्राम अथवा मिली. के बीच के आकारों के लिए) निम्नलिखित विवरण प्राथमिक पैकेज पर अमिर स्याही से मुद्रित किए जाएंगे, अर्थात:-
  - 1. सामान्य नाम;
  - 2. ब्रांड का नाम;
  - 3. सूत्र की संरचना अथवा कीटनाशी;
  - 4. विर्निमाता का नाम और पता;
  - 5. द्वारा आयातित और पुन: पैकिंग (जहां भी लागू हो);
  - 6. प्रतिकारक:
  - 7. पंजीकरण संख्या:
  - 8. विनिर्माता की अनुप्राप्ति संख्या;
  - 9. बैच संख्या:
  - 10. विनिर्माण की तारीख;
  - 11. अवसान की तारीख;
  - 12. शुद्ध अंतर्वस्तु का भार अथवा आयतन (मिट्टिक प्रणाली में); अथवा
  - 13. अधिकतम खुदरा मुल्य (सभी करों सहित एमआरपी, रूपए में);
  - 14. कस्टम केयर विवरण;
    - (v) तीसरी अनुसूची में दिए गए चित्र II, III, IVऔर V एवं VI तथा VII के माडल लेबल एक पैनल, दो पैनल,तीन पैनल के अनुसार होंगे।
    - 3. "तीसरी अनुसूची" में उक्त नियमों II, III, IV और V के लिए निम्नलिखित चित्र अंत: स्थापित किए जाएंगे अर्थात :-

चित्र II : एक पैनल के लिए माडल लेबल (1 से 50 ग्राम या मि.ली. और 51-250 ग्राम अथवा मिलीलीटर प्राथमिक पैकटों लेबलों के लिए लागू)

# उपयोग से पहले लीफलेट पढ़ें (कम से कम अंग्रेजी और हिंदी में):

साधारण नाम:

### ब्राड नाम:

सूत्र की संरचना एवं कीटनाशक

प्रतिकारक : "विषमकोण समचतुर्भुज की आकृति का वर्ग-प्रतीक संकेत शब्द और चेतावनी कथन और कोई अन्य जानकारी नियम 19 के उपनियम (3), (4), (5) और (6) के अनुसार"

विनिर्माता का नाम और पता:

द्वारा आयातित और दुबारा पैक किया गया (जहां भी लागू हो):

रजिस्ट्रेशन सं.:

विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्या:

बैच संख्या:

विनिर्माण की तारीख:

अवसान की तारीख:

शुद्ध अंतर्वस्तु (मीट्रिक प्रणाली में वजन और मात्रा):

अ.खु. मूल्य:

उपभोक्ता सेवा केंद्र का ब्यौरा

उपरोक्तनुसार हिंदी में समान अंतर्वस्तु

### चित्र III: एक पैनल के लिए माडल लेबल

### उपयोग से पहले लीफलेट पढ़ें (कम से कम अंग्रेजी और हिंदी में):

साधारण नाम:

### ब्राड नाम:

सूत्र की संरचना एवं कीटनाशक

प्रयोजन

प्रविष्टि

फसल एवं कीटनाशक समूह

प्रतिकारक कथन

सावधानी कथन

उपयोग एवं रीति के लिए खुराक, दिशा-निर्देश, अनुप्रयोग का समय; कृपया विवरण के लिए लीफलेट का संदर्भ लें। सुरक्षा सावधानियां,विषाक्ता के लिए लक्षण, प्राथमकि उपचार; कृपया विवरण के लिए लीफलेट का संदर्भ लें।

: "विषमकोण समचतुर्भुज की आकृति का वर्ग-प्रतीक संकेत शब्द और चेतावनी कथन और कोई अन्य जानकारी नियम 19 के उपनियम (3), (4), (5) और (6) के अनुसार"

विनिर्माता का नाम और पता:

द्वारा विपणनः

द्वारा आयतित और दुबारा पैक किया गया (जहां भी लागू हो):

रजिस्ट्रेशन सं.:

विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्या:

बैच संख्या:

विनिर्माण की तारीख:

अवसान की तारीख:

अ.ख्. मूल्य:

शुद्ध अंतर्वस्तु (मीट्रिक प्रणाली में वजन और मात्रा):

ग्राहक सम्पर्क विवरण:

चित्र लिपि

उपरोक्तनुसार हिंदी में समान अंतर्वस्त

# चित्र IV: एक पैनल के लिए माडल लेबल (>250 ग्राम या मि.ली. प्राथमिक एवं द्वितीयक पैक लेबल के लिए लागू)

उपयोग से पहले लीफलेट पढ़ें (कम से कम अंग्रेजी और हिंदी में) :
साधारण नाम:
ब्रांड नाम:
सूत्र की संरचना एवं कीटनाशक
प्रयोजन
पुनःप्रविष्टि
फसल एवं कीटनाशक समूह
उपयोग एवं रीति के लिए खुराक, दिशा-निर्देश, अनुप्रयोग का समय; कृपया विवरण के लिए लीफलेट का संदर्भ लें।
सुरक्षा सावधानियां
विषाक्ता के लक्षण
प्राथमिक उपचार
प्रतिकारक कथन
सावधानी कथन
"विषमकोण समचतुर्भुज की आकृति का वर्ग-प्रतीक संकेत शब्द और चेतावनी कथन और कोई अन्य जानकारी नियम 19 के उपनियम   (3),(4),(5) और (6) के अनुसार"
विनिर्माता का नाम और पता:
द्वारा विपणनः
द्वारा आयतित और दुबारा पैक किया गया (जहां भी लागू हो):
रजिस्ट्रेशन सं.:
विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्या:
बैच संख्या:
विनिर्माण की तारीख:
अवसान की तारीख:
अ.खु. मूल्य:
शुद्ध अंतर्वस्तु (मीट्रिक प्रणाली में वजन और मात्रा):
ग्राहक सम्पर्क विवरण:
चित्र लिपि
उपरोक्तानुसार हिंदी में समान अंतर्वस्तु

# चित्र V: दो पैनलों के लिए माडल लेबल

# (1 से 50 ग्राम या मि.लि. 51 से 250 ग्राम या एम एल द्वितीयक पैकेज के लिए लागू)

उपयोग से पहले लीफलेट पढ़ें साधारण नाम: उपयोग से पहले लीफलेट पढ़ें ब्रांड नाम: उपयोग से पहले लीफलेट पढ़ें सूत्र की संरचना अथवा कीटनाशकः उपयोग से पहले लीफलेट पढ़ें प्रयोजन: उपयोग से पहले लीफलेट पढ़ें पुनःप्रविष्टि: उपयोग से पहले लीफलेट पढ़ें फसल और कीट समूह: उपयोग एवं रीति के लिए खुराक, दिशा-निर्देश, अनुप्रयोग का समय ग्राहक सम्पर्क विवरण: कृपया विवरण के लिए लीफलेट देखें "विषमकोण समचतुर्भुज की आकृति का वर्ग- प्रतीक-संकेत रजिस्ट्रीकरण सं.: शब्द और चेतावनी कथन और कोई अन्य जानकारी विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्या: नियम 19 के उपनियम (3), (4), (5) और (6) के अनुसार" बैच संख्या: विनिर्माण की तारीख: सुरक्षा सावधानियाँ अवसान की तारीख: विषाक्तीकरण के लक्षण अ.खु.मु. जिसके अन्तर्गत कर भी हैं: प्राथमिक उपचार: शुद्ध अन्तर्वस्तु (मीट्रिक प्रणाली में वजन और मात्रा): कृपया विवरण के लिए लीफलेट देखें प्रतिकारक: सावधानियाँ कथन: उपरोक्तानुसार हिंदी में समान अंतर्वस्तु विनिर्माता का नाम और पता द्वारा विपणन : द्वारा आयातित और दुबारा पैक किया गया (जहां भी लागू हो) : उपरोक्तानुसार हिंदी में समान अंतर्वस्तु चित्र लिपि

# चित्र VI : दो पैनलों के लिए माडल लेबल

(>250 ग्राम या मि.ली. प्राथमिक और द्वितीयक पैकेज लेबल के लिए लागू)

उपयोग से पहले लीफलेट पढ़ें

ग्राहक सम्पर्क विवरण:

रजिस्ट्रीकरण सं.:

विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्या:

बैच संख्या:

विनिर्माण की तारीख:

अवसान की तारीख:

अ.खु. मू. जिसके अन्तर्गत कर भी हैं:

शुद्ध अन्तर्वस्तु (मीट्रिक प्रणाली में वजन और मात्रा):

साधारण नाम:

ब्रांड नाम :

सूत्र की संरचना अथवा कीटनाशकः

प्रयोजन:

पुनःप्रविष्टि:

फसल और कीट समूह:

उपयोग एवं रीति के लिए खुराक, दिशा-निर्देश, अनुप्रयोग

का समय:

कृपया विवरण के लिए लीफलेट देंखे

"विषमकोण समचतुर्भुज की आकृति का वर्ग- प्रतीक-संकेत शब्द और चेतावनी कथन और कोई अन्य जानकारी नियम 19 के उपनियम (3), (4), (5) और (6) के अनुसार"

सुरक्षा सावधानियाँ

विषाक्तीकरण के लक्षण

प्राथमिक उपचार:

प्रतिकारकः

सावधानियाँ कथन:

उपरोक्तानुसार हिंदी में समान अंतर्वस्तु

विनिर्माता का नाम और पता

द्वारा विपणन :

द्वारा आयातित और दुबारा पैक किया गया (जहां भी लागू हो) :

उपरोक्तानुसार हिंदी में समान अंतर्वस्तु

चित्र लिपि

# चित्र VII : तीनों पैनलों के लिए माडल लेबल

# (>250 ग्राम या मि.ली. प्राथमिक और द्वितीयक पैकेज लेबल एवं मोनोकार्टोन के लिए लागू)

(१२०० प्राम मा मि.सा. प्रामानम आर द्विसामम मान्य राज्य दुव मामानगटान मनसद् सामू				
उपयोग से पहले लीफलेट पढ़े	साधारण नाम:	प्रयोजन:		
उपयोग से पहले लीफलेट पढ़े	ब्रांड नाम :	पुनःप्रविष्टि:		
उपयोग से पहले लीफलेट पढ़े	सूत्र की संरचना अथवा कीटनाशकः	फसल और कीट समूह:		
उपयोग से पहले लीफलेट पढ़े		उपयोग एवं रीति के लिए खुराक,		
उपयोग से पहले लीफलेट पढ़े	"विषमकोण समचतुर्भुज की आकृति का	दिशा-निर्देश, अनुप्रयोग का समय:		
उपयोग से पहले लीफलेट पढ़े	वर्ग- प्रतीक-संकेत शब्द और चेतावनी कथन और कोई अन्य जानकारी नियम	कृपया विवरण के लिए लीफलेट देंखे		
उपयोग से पहले लीफलेट पढ़े	19 के उपनियम (3),(4),(5) और (6)			
उपयोग से पहले लीफलेट पढ़े	के अनुसार"			
उपयोग से पहले लीफलेट पढ़े		सुरक्षा सावधानियाँ		
उपयोग से पहले लीफलेट पढ़े	विनिर्माता का नाम और पता	विषाक्तीकरण के लक्षण		
	द्वारा विपणन :	प्राथमिक उपचार:		
ग्राहक सम्पर्क विवरण:	द्वारा आयातित और दुबारा पैक किया	प्रतिकारक:		
	गया (जहां भी लागू हो)	सावधानियाँ कथन:		
चित्रलिपि				
	रजिस्ट्रीकरण सं.:	उपरोक्तानुसार हिंदी में समान		
	विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्या:	अंतर्वस्तु		
	बैच संख्या:			
	विनिर्माण की तारीख:			
	अवसान की तारीख:			
	अ.खु. मू. जिसके अन्तर्गत कर भी हैं:			
	शुद्ध अन्तर्वस्तु			

(5) उक्त नियमों में, नियम 19, के उप-नियम (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

[फा. सं. 13035/33/2019-पी.पी.-I] अतीश चंद्रा, संयुक्त सचिव टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.िन. 1650(अ), तारीख 19 अक्तूबर, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्तपश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए थे—

- 1. सा.का.नि. 474(अ), तारीख 24 जुलाई, 1976,
- 2. सा.का.नि. 736(अ), तारीख 9 दिसंबर, 1977,
- 3. सा.का.नि. 1064(अ), तारीख 7 नवबंर, 1988,
- 4. सा.का.नि. 533(अ), तारीख 6 अगस्त, 1993,
- 5. सा.का.नि. 371(अ), तारीख 20 मई, 1999,
- 6. सा.का.नि. 372(अ), तारीख 20 मई, 1999,
- 7. सा.का.नि. 586(अ), तारीख 12 अगस्त, 1999,
- 8. सा.का.नि. 548(अ), तारीख 12 सितंबर, 2006,
- 9. सा.का.नि. 692(अ), तारीख 7 नवबंर, 2006,
- 10. सा.का.नि. 128(अ), तारीख 26 फरवरी, 2009,
- 11. सा.का.नि. 174(अ), तारीख 5 मार्च, 2010,
- 12. सा.का.नि. 474(अ), तारीख 11 जुलाई, 2013,
- 13. सा.का.नि. 797(अ), तारीख 13 नवंबर, 2014,
- 14. सा.का.नि. 840(अ), तारीख 5 नवंबर, 2015,
- 15. सा.का.नि. 164(अ), तारीख 15 फरवरी, 2016,
- 16. सा.का.नि. 794(अ), तारीख 12 अगस्त, 2016,
- 17. सा.का.नि. 79(अ), तारीख 27 जनवरी, 2017,
- 18. सा.का.नि. 106(अ), तारीख 1 फरवरी, 2017,
- 19. सा.का.नि. 1229(अ), तारीख 4 अक्टूबर, 2017 ,
- 20. सा.का.नि. 1588(अ), तारीख 22 दिसंबर, 2017,
- 21. सा.का.नि. 399(अ), तारीख 20 अप्रैल, 2018 और
- 22. सा.का.नि. 1204(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2018।
- 23. सा.का.नि. 11(अ), तारीख 4 जनवरी, 2019 तथा
- 24. सा.का.नि. 535 (अ), तारीख 30 जुलाई, 2019
- 25. सा.का.नि. 782 (अ) तारीख 14 अक्टूबर 2019
- 26. सा.का.नि. 07 (अ) तारीख 2 जनवरी 2020।

#### MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

### (Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th April, 2020

**G.S.R. 264(E).**—Whereas the draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, was published, as required by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) vide notification number G.S.R. 10 (E), dated the 1<sup>st</sup> January, 2019, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Subsection (i), inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which the said notification was published were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 4<sup>th</sup> January, 2019;

And whereas, objections or suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by the Central Government and a final gazette Notification G.S.R. 782 (E), dated the 11<sup>th</sup> October, 2019 was published in the Gazette of India on 14<sup>th</sup> October 2019. Thereafter, the matter was further examined in the department in the light of practical problems of the stakeholders in implementing the said rules and due to ongoing emergent COVID situation in the country.

Now, therefore, the following draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, which the Central Government proposed to make in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), is hereby published as required by the said section, for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of fifteen days from the date on which the copies of this notification as published in Gazette of India are made available to the public;

The objection or suggestions which may be received from any person in respect of said draft rules before the expiry of the aforesaid period of fifteen days shall be considered by the Central Government;

Objections and suggestions in respect to the said draft rules may be forwarded to the Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi 110001 or to the NIC mail jspp-dac@gov.in.

#### **DRAFT RULES**

- 1. (1) These rules may be called the Insecticides (Second Amendment) Rules, 2020.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette:

Provided that all persons with valid certificates of registration granted before the date of coming into force of these rules shall, within a period of ninety days from this date, apply to the Secretariat, Central Insecticides Board and Registration Committee, for the approval of labels and leaflets that have been amended in accordance with these rules:

Provided further no person shall use a label or leaflet that has not been amended in accordance with these rules after the expiry of nine months from the date of coming into force of these rules:

Provided also that no insecticide or its package bearing a label or leaflet that has not been amended in accordance with these rules shall be distributed, sold, exhibited for sale or stocked, after the expiry of one year nine months from the date of coming into force of these rules.

- 2. In the Insecticides Rules, 1971 (hereinafter referred as the said rules) in sub-rule (1) of rule 19,-
- (a) in clause (i),-
  - (i) in sub-clause (d), after the words "to apply", the brackets and words, "(Please refer leaflet for details)" shall be inserted;
  - (ii) in sub-clause (e), after the words and bracket "the area)", the brackets and words "(Please refer leaflet for details)" shall be inserted;

- (iii) in sub-clause (h), after the words "Registration Committee", the brackets and words "(Please refer leaflet for details)" shall be inserted;
- (iv) in sub-clause (j), after the words "first aid", the brackets and words "(Please refer leaflet for details)" shall be inserted;
- (b) for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:-
- "(ii) The label shall be printed legibly with indelible ink in English and Hindi languages unless stated otherwise in the font sizes not less than the size prescribed as below:

Sl. No.	Package Size	Primary		Secondary	
	Size	English	Hindi	English	Hindi
(1)	Big	7	7	7	7
(2)	Small	5	6	7	7
(3)	Ultra small	5	6	7	7";

(c) for clauses (iv) and (v), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(iv) In case where the sachets, packets or containers are ultra-small and small (for sizes between 1 and 50 gm or ml and 51 and 250 gm or ml) the following details shall be printed with indelible ink on primary package, namely:-

- 1) common name;
- 2) brand name;
- 3) composition of the formulation or insecticides;
- 4) name and address of the manufacturer;
- 5) imported and re-packed by (wherever applicable);
- 6) antidote;
- 7) registration number;
- 8) manufacturer's license number;
- 9) batch number;
- 10) manufacturing date;
- 11) expiry date;
- 12) net content weight or volume (in metric system); and
- 13) maximum retail price (MRP inclusive of all taxes, in rupees);
- 14) Customer care details.
- (v) The model labels (one panel, two panels and three panels) shall be as per the pictures II, III, IV, V, VI and VII given in the THIRD SCHEDULE.".
- 3. In the said rules, in the "THIRD SCHEDULE" for PICTURES II, III, IV and V, the following PICTURES shall be substituted, namely:-

### "PICTURE II: MODEL LABEL FOR ONE PANEL

(Applicable for 1 to 50 gm or ml and 51 to 250 gm or ml Primary package labels)

Read leaflet before use (at least in English and Hindi)			
Common name:			
Brand Name®			
Composition of the formulation or insecticides:			
Antidote:			
"Diamond shape square-symbol, signal word and warning statements and any other information as per sub- rule (3), (4), (5), and (6) of Rule19"			
Name and Address of manufacturer:			
Imported and re-packed by (wherever applicable):			
Registration No:			
Mfg Lic. No:			
Batch number:			
Mfg. Date:			
Expiry date:			
Net content: weight or volume (in metric system)			
M.R.P. Customer care details Similar content as above in Hindi			

# PICTURE III: MODEL LABEL FOR ONE PANEL

(Applicable for 1 to 50 gm or ml and 51 to 250 gm or ml secondary package Label)

Read Leaflet before Use (at least in English and Hindi):			
Common name:			
Brand Name®			
Composition of the formulation or insecticides:			
Purpose:			
Re-entry:			
Crops and Pest Groups:			
Antidote Statement:			
Cautionary statements:			
Dosage, Direction for use & Manner and time of application: Plea	se refer leaflet for details		
Safety Precautions, Symptom of Poisoning, First Aid: Please refer leaflet for details			
"Diamond shape square-symbol, signal and warning statements and any other info as per sub- rule (3), (4), (5), and (6) of Ru	rmation		
Name and Address of manufacturer:			
Marketed by:			
Imported and re-packed by (wherever applicable):			
Registration No:			
Mfg. Lic. No:			
Batch Number:			
Mfg. Date:			
Expiry Date:			
MRP incl. of all taxes. Rs.			
Net Content: weight or volume (in metric system)			
Customer Care details:			
PICTOGRAMS	Similar content as above in Hindi		

# PICTURE IV: MODEL LABEL FOR ONE PANEL

(Applicable for >250 gm or ml primary and secondary package Label)

Read Leaflet before Use (at least in English and Hindi):
Common name:
Brand Name®
Composition of the formulation or insecticides:
Purpose:
Re-entry:
Crops and Pest Groups:
Dosage, Direction for use & Manner and time of application: Please refer leaflet for details
Safety Precautions:
Symptom of Poisoning:
First Aid:
Antidote Statement:
Cautionary statements:
"Diamond shape square-symbol, signal word and warning statements and any other information as per sub- rule (3), (4), (5), and (6) of Rule19"
Name and Address of manufacturer:
Marketed by:
Imported and re-packed by (wherever applicable):
Registration No:
Mfg. Lic. No:
Batch Number:
Mfg. Date:
Expiry Date:
MRP incl. of all taxes. Rs.
Net Content: weight or volume (in metric system)
Customer Care details:
PICTOGRAMS Similar content as above in Hindi

### PICTURE V: MODEL LABEL FOR TWO PANELS

(Applicable for 1 to 50 gm or ml and 51 to 250 gm or ml secondary package Label)

Read Leaflet before use Common name: Read Leaflet before use Brand Name® Read Leaflet before use Composition of the formulation or insecticides: Read Leaflet before use Purpose: Read Leaflet before use Re-entry: Read Leaflet before use Crops and Pest Groups: Customer Care details: Dosage, Direction for use, & Manner and time of application: Please refer leaflet for details Registration No. "Diamond shape square-symbol, signal word and warning statements and any other information as Mfg. Lic. No. per sub- rule (3), (4), (5), and (6) of Rule 19" Batch No. Mfg. Date Safety Precautions, Expiry Date: Symptoms of Poisoning MRP incl. of taxes. Rs. First Aid: Net content: weight or volume (in metric system) Antidote: Cautionary statement: **PICTOGRAMS** Similar Content as above in Hindi Name and address of Manufacturer: Marketed by: Imported & re-packed by (wherever applicable): Similar content as above in Hindi:

# PICTURE VI: MODEL LABEL FOR TWO PANELS

(Applicable for >250 gm or ml primary and secondary package Label)

Read Leaflet before use	Common name:
Read Leaflet before use	Brand Name®
Read Leaflet before use	Composition of the formulation or insecticides:
Read Leaflet before use	Purpose:
Read Leaflet before use	Re-entry:
Read Leaflet before use	Crops and Pest Groups:
Customer Care details:	Dosage, Direction for use, & Manner and time of application: Please refer leaflet for details  "Diamond shape square-symbol, signal word and
	warning statements and any other information as per sub-rule (3), (4), (5), and (6) of Rule19"
Registration No.	
Mfg. Lic. No.	Safety Precautions:
Batch No.	Symptoms of Poisoning:
Mfg. Date	First Aid:
Expiry Date:	Antidote:
MRP incl. of taxes. Rs.	Cautionary statement:
Net content: weight or volume (in metric system)	Similar Content as above in Hindi
	Name and address of Manufacturer:
	Marketed by:
	Imported & re-packed by (wherever applicable):
PICTOGRAMS	Similar content as above in Hindi:

### PICTURE VII: MODEL LABEL FOR THREE PANELS

(Applicable for > 250 gm or ml labels primary and secondary package and monocartons)

Read Leaflet before use	Common name:	
Read Leaflet before use	Brand Name®	Purpose:
Read Leaflet before use	Composition of the formulation or	Re-entry:
Read Leaflet before use	insecticides: "Diamond shape square-symbol, signal word and warning statements and any other information as per sub- rule (3),	Crops and Pest Groups:
Read Leaflet before use		Dosage, Direction for use & Manner and time of application: Please refer leaflet for details
Read Leaflet before use		
Read Leaflet before use		
Read Leaflet before use	(4), (5), and (6) of Rule19"	
Read Leaflet before use		
Read Leaflet before use	Name and address of	Safety Precautions:
	Manufacturer:	Symptoms of Poisoning:
	Marketed by:	First Aid:
Customer Care details:	Imported & re-packed by (wherever applicable):	Antidote:
Customer care detains.	Registration No.	Cautionary statement:
PICTOGRAMS	Mfg. Lic. No.	·
	Batch No.	
	Mfg. Date:	
	Expiry Date:	
	MRP incl. of taxes. Rs.	Similar Content as above in
	Net content:	Hindi".

[F. No. 13035/33/2019-PP.I]

ATISH CHANDRA, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i) *vide* number G.S.R. 1650(E), dated the 19th October, 1971 and subsequently amended vide:—

- 1. G.S.R. 474(E), dated 24th July, 1976,
- 2. G.S.R. 736(E), dated 9th December, 1977,
- 3. G.S.R. 1064(E), dated 7th November, 1988,
- 4. G.S.R. 533(E), dated 6th August, 1993,
- 5. G.S.R. 371(E), dated 20th May, 1999,
- 6. G.S.R. 372(E), dated 20th May, 1999,
- 7. G.S.R. 586 (E), dated 12th August, 1999
- 8. G.S.R. 548(E), dated 12th September, 2006,
- 9. G.S.R. 692(E), dated 7th November, 2006,
- 10. G.S.R. 128(E), dated 26th February, 2009,

- 11. G.S.R. 174(E), dated 5th March, 2010,
- 12. G.S.R. 474(E), dated 11th July, 2013,
- 13. G.S.R. 797(E), dated 13th November, 2014,
- 14. G.S.R. 840(E), dated 5th November, 2015,
- 15. G.S.R. 164(E), dated 15th February, 2016
- 16. G.S.R. 794 (E), dated 12th August, 2016,
- 17. G.S.R.79(E), dated 27th January, 2017,
- 18. G.S.R. 106(E), dated 1st February, 2017
- 19. G.S.R. 1229(E), dated 4th October, 2017,
- 20. G.S.R. 1588(E), dated 22nd December, 2017,
- 21. G.S.R. 399(E), dated 20th April, 2018
- 22. G.S.R.1204 (E), dated 13th December, 2018
- 23. G.S.R.11(E), dated 4th January, 2019 and
- 24. G.S.R. 535(E) dated 30th July, 2019.
- 25. G.S.R. 782(E) dated 14th October, 2019.
- 26. G.S.R. 07(E) dated 2nd January, 2020.